कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक–2515 /FP/UK/ROAD/33105/2018 :देहरादून:दिनांक: 20 अप्रैल, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड सल्ट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सरना से मलिहारी लिंक मोटर मार्ग प्रस्ताव संख्या (33105) निर्माण हेतु 4.286 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षे0का0) देहरादून के कार्यालय पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/62/2019/एफ0सी0/427 दिनांक 24.05.2019।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 4639/12–1 (2) दिनांक 08.04.2022 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, (संलग्न–1) जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

क्र0सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।	उक्त बिन्दु के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा वचनवद्वता संलग्न है।
2	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर ए0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।	उक्त बिन्दु के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा वचनवद्वता संलग्न है।
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नही लगाया जायेगा।	उक्त बिन्दु के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा वचनवद्वता संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट उंचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन कार्य जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित जायेगा।	उक्त बिन्दु के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा वचनवद्वता संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसाई गैस/कैरोसीन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचें।	उक्त बिन्दु के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा वचनवद्वता संलग्न है।
6	परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार क्षति नही पहुंचायी जायेगी।	उक्त बिन्दु के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा वचनवद्वता संलग्न है।
7	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उददेश्य के अलावा अन्य किसी के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नही किया जायेगा।	उक्त बिन्दु के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा वचनवद्वता संलग्न है।
8	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 51 से अधिक न हो।	उक्त बिन्दु के कम में अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु कम से कम वृक्षों का कटान एवं पातन किया जायेगा। उक्त

Rohit PD Backup

		मोटर मार्ग के समरेखण में पेड़ों की कटाई की लागत की धनराशि पृथक से वन विभाग के पास जमा कर दी गयी है।
9	सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी	उक्त बिन्दु के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा वचनवद्वता संलग्न है।
10	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देखरेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नही फेंका जाएगा।	उक्त बिन्दु के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा वचनवद्वता संलग्न है।
11	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	उक्त बिन्दु के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा वचनवद्वता संलग्न है।
12	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गयी शर्तो का सन्तोषजनक अनुपालन नही किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	उक्त बिन्दु के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा वचनवद्वता संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,
20/4/22
(बी०पी० गुप्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–2515 / FP/UK/ROAD/33105/2018 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 4639/12–1 (2) दिनांक 08.04.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

20/4/22
(बी०पी० गुप्ता)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

9/c

Rohit PD Backup